242

राजस्थान सरकार
सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग

क्रमांक प.4(26)सीएडी/2007पार्ट जयपुर, दिनांक 1/8/14

–:आदेश:–

सीएडी विभाग के अधीन संचालित विभिन्न परियोजनाओं में नरेगा, ग्रामीण ऐजेन्सियों आदि द्वारा पक्का खाला निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) दिये जाने के बारे में पूर्व में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

1. इंदिरा गॉधी नहर परियोजना

विभाग द्वारा दिनॉक 31.8.2010 से सिंचित क्षेत्र विकास के निर्माण कार्य करवाये जाने बन्द किए जा चुके है। इसलिए शेष बचे क्षेत्र के किसी चक में किसी ऐजेन्सी द्वारा पक्का खाला निर्माण कार्य सी.ए.डी. द्वारा स्वीकृत चक प्लान अनुसार करवाया जाता है तो इसके लिये किसी प्रकार की एन.ओ.सी. लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. गंगनहर परियोजना, सिद्वमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना, चम्बल सिंचाई परियोजना एवं बीसलपुर परियोजना

उक्त परियोजनाओं में विभाग द्वारा पक्का खाला निर्माण कार्य वर्तमान में करवाये जा रहे है। इसलिए अन्य ऐजेन्सियों द्वारा निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु एन.ओ.सी. जारी करने के लिए मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :–

1. जिस चक में सम्पूर्ण खाला कच्चा है, एवं क्षेत्र में विभाग द्वारा पक्का खाला निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तो उस चक में पक्का खाला निर्माण हेतु एन.ओ.सी. नही दी जावेगी।
2. जिस चक में खाले का निर्माण कार्य सीएडी विभाग द्वारा किसी भी कारण से अपूर्ण फाईनल कर दिया गया हो, कुछ मुरब्बों में पक्का नही किया गया हो, तो ऐसे चकों में शेष रहे खाले को सीएडी द्वारा बनाये चक प्लान अनुसार पक्का करने हेतु प्रकरणवार एन.ओ.सी संबंधित आयुक्त क्षेत्रीय विकास द्वारा जारी की जावेगी।
3. यदि किसी चक में किसी भी ऐजेन्सी द्वारा पक्का खाला निर्माण करवाया हुआ है तथा चक में सीएडी द्वारा स्वीकृत चक प्लान अनुसार लगभग 6 मुरब्बा (1500 मीटर) अथवा उससे कम लम्बाई, में कच्चे खालों को पक्का करना शेष हो तो ऐसी स्थिति में एन.ओ.सी. संबंधित आयुक्त क्षेत्रीय विकास द्वारा टुकडो में न दी जाकर एक ही बार सीएडी विभाग के स्वीकृत अभिलेख की जॅच कर एवं अभियंता द्वारा मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त जारी की जावेगी।

2.7.14
(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक,आजीविका परियोजनाए स्वम सहायता समूह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय विकास आयुक्त, अजमेर
5. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, इंगानप, बीकानेर/सीएडी चम्बल, कोटा
6. आयुक्त, ईजीएम, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग–3 नरेगा) जयपुर।
7. मुख्य अभियंता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सीएडी, जयपुर
8. मुख्य अभियंता (पश्चिम) सीएडी, बीकानेर
9. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर।
11. अधीक्षण अभियंता, सीएडी बिसलपुर वृत टोंक
12. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव